

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कम्पों का बाड़ा)

प्रार्थीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जैसाराम पुत्र स्व.मांगीलाल जाति भील 2. छगनाराम पुत्र स्व. मांगीलाल जाति भील सभी निवासी भीलो की ढाणी, पाबुपूरा तहसील समदडी जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक

प्रार्थना पत्र बाबत रेकॉर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

: आदेश :-

दिनांक:- 04.12.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ. की धारा 1956 के तहत प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि प्राथीगण की सामलाती कृषि भूमि मौजा ग्राम देवलियाली पटवार हल्का सिलोर तहसील समदडी में खसरा संख्या 155/23 रकबा 4.8562 हैक्टर किस्म मगरा आई हुई है। प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पिता स्व. मांगीलाल द्वारा उक्त भूमि रकबा 4.8562 हैक्टर भूमि को पूर्व खातेदार भटीया वल्द नगाजी जाति भील निवासी देवलियाली तहसील सिवाना वर्तमान तहसील समदडी से जरिये रजिस्ट्री खरीद की गई थी "जो रजिस्ट्री दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय सिवाना में दिनांक 05.06.1987 को क्रम संख्या 160/87 पर दर्ज है उक्त खरीद भूमि रकबा 30 बीघा में रजिस्ट्री दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण अर्थात् खरीददार मांगीलाल पुत्र खेताजी जाति भील, पुरखाराम, छगनाराम जैसाराम पि. मांगीलाल जाति भील व सोनाराम खेताजी जाति भील के नाम भटाराम पत्र नगाजी जाति भील से खरीद की गई थी, तहसील समदडी को ऑनलाईन करते समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण छगनाराम पुत्र मांगीलाल हि. 1/9 के स्थान पर 1/8, जैसाराम पुत्र मांगीलाल हि. 1/9 के स्थान पर 1/8, देवाराम पुत्र सोनाराम हि. 1/6 के स्थान पर 1/4, पुरखाराम पुत्र मांगीलाल हि. 1/9 के स्थान पर 1/8, मांगीलाल पुत्र खेताजी हि. 1/3 के स्थान पर 1/8 मालाराम पुत्र सोनाराम हि. 1/6 के स्थान पर 1/4 दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त करने हेतु उक्त प्रार्थना प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर स्थल सिलोर में पेश हुई। तहसीलदार द्वारा शिविर स्थल सिलोर में रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल रहे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा देवलियाली पटवार मण्डल सिलोर के खेत खसरा संख्या 155/23 रकबा 04.8562 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज संख्या 160/87 दिनांक 05.06.1997 भटिया पुत्र नगाजी जाति भील निवासी देवलियाली से खरीद की गई थी। प्रार्थी मांगीलाल पुत्र खेताजी जाति भील हि. 1/3, पुरखाराम पुत्र सोनाराम जैसाराम पि. मांगीलाल जाति भील हि. 1/3, सोनाराम पुत्र खेताजी जाति भील हि. 1/3 हिस्सा भटिया पुत्र नगाजी जाति भील से खरीद किया गया था। प्रार्थीगण इसी तरह मौके पर काबिज काश्त है। सेग्रिगेशन के दौरान तहसील समदडी को ऑनलाईन करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण का हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में अशुद्ध दर्ज



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाड़मेर)

कर दिया गया जिसे रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का गहराई से मनन किया व मजमे आम में जानकारी ली गई। बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया कि सेग्रीगेशन के दौरान तहसील समदडी को ऑनलाईन करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थीगण छगनाराम पुत्र मांगीलाल हि. 1/9 के स्थान पर 1/8, जैसाराम पुत्र मांगीलाल हि. 1/9 के स्थान पर 1/8, देवाराम पुत्र सोनाराम हि. 1/6 के स्थान पर 1/4, पुरखाराम पुत्र मांगीलाल हि. 1/9 के स्थान पर 1/8, मांगीलाल पुत्र खेताजी हि. 1/3 के स्थान पर 1/8 मालाराम पुत्र सोनाराम हि. 1/6 के स्थान पर 1/4 दर्ज कर दिया गया जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मजमे आम बमुकाम सिलोर में स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण मांगीलाल पुत्र खेताजी जाति भील हि. 1/3, पुरखाराम छगनाराम जैसाराम पि. मांगीलाल जाति भील हि. 1/3, सोनाराम पुत्र खेताजी जाति भील हि. 1/3 हिस्सा शुद्ध किया जाने का आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दर्पतर हो। खर्चो पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।



( कुसुमलता चौहान )

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021

आदेश आज दिनांक 04.12.2021 को मजमे आम बमुकाम प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 शिविर स्थल सिलोर में सुनाया गया।

( कुसुमलता चौहान )

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021